न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 09/2021 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2021/101

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–

प्रार्थीगण :–

1. मदनलाल पुत्र गीगाराम
2. जोगाराम पुत्र गीगाराम
3. बचनाराम पुत्र गीगाराम
   जातिगण–मेगवाल,
   निवासीगण–मैन जोधपुर रोड़, गरनिया तहसील जैतारण जिला–पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत गरनिया पंचायत समिति जैतारण जिला–पाली जरिये सरपंच।
2. भंवरलाल पुत्र गीगाराम, जाति मेगवाल, निवासी–गरनिया तहसील जैतारण जिला–पाली (राज.)
3. मृतक हणुतराम पुत्र करणाराम, जाति मेगवाल, गरनिया तहसील जैतरण जिला–पाली (राज.) के विधिक वारिसान :–
   3/1. कोयली उर्फ कविता पुत्री हणुतराम पत्नी त्रिलोकराम, जाति मेगवाल हाल निवासी–मोहरा कलां तहसील रायपुर जिला–पाली (राज.)
   3/2. मथुराई पुत्री हणुतराम पत्नी अमराराम, जाति मेगवाल हाल –निवासी– रामावास कलां तहसील जैतारण जिला–पाली (राज.)
4. मृतक पाबूराम पुत्र करणाराम, जाति मेगवाल, निवासी– गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली के विधिक वारिसान :–
   4/1. मृतका पिस्ता पुत्री स्व. पाबूराम पत्नी स्व. मंगाराम जाति मेगवाल निवासी–बिरोल तहसील जैतारण जिला–पाली के विधिक वारिसान :–
   4/1/1. बींजाराम पुत्र स्व. मंगाराम,
   4/1/2. मुकेश पुत्र स्व. मंगाराम,
   4/1/3. सांवरराम पुत्र स्व. मंगाराम, जाति मेघवाल, निवासी बिरोल, तहसील जैतारण, जिला पाली
   4/2. चान्दुडी उर्फ चान्दादेवी पुत्री पाबूराम पत्नी अमृतलाल, जाति मेगवाल, निवासी–निमाज तहसील जैतारण जिला पाली(राज.)
5. सक्षम प्राधिकारी, (भमि आवाप्ति) एवम उपखण्ड अधिकारी, जैतारण जिला–पाली (राज.)
6. परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 148 उम्मेद हेरिटेज, रातानाडा, जोधपुर (राज.)

<u>रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994</u>

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह सोलंकी
अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव
अप्रार्थी संख्या 03 [illegible] से 4/1/3 की ओर से गजेन्द्रसिंह मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या [illegible] 4/2 की ओर से श्री लक्ष्मण के चौधरी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:32:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः....................2

रिव्यू प्रा.प.:: 09/2021 ''मदनलाल बनाम ग्राम पंचायत गरनिया वगैरा ''

:: 2 ::

--:: नि र्ण य ::--

दिनांक :- 16-4-21

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण संख्या 63/2019 बअनवान मदनलाल वगैरा बनाम ग्राम पंचायत गरनिया वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2021 को पुनर्विलोकन हेतु पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया मूल निगरानी पत्रावली संख्या 63/2019 तलब कर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या 63/2019 में आदेश 'क्या पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है यह बिन्दु कायम कर किया गया है जैर प्रार्थना पत्र आदेश पारित करने से पूर्व निगरानी में अंकित तथ्यों, ग्राम पंचायत गरनिया द्वारा पेश रेकर्ड पट्टा बुक व प्रस्ताव रजिस्टर एवं आराजी की वास्तविक स्थितियों तर्कों , एवं कथनों का समूचित विश्लेषण व विवेचन नहीं किया गया है फलस्वरूप जैर निगरानी आदेश पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार जारी नहीं हुआ है। भंवरलाल पुत्र गीगाराम भाम्बी व हणुतराम पाबूराम पुत्रगण करनाराम भांबी के पक्ष में जारी होना तथा कथित रूप से शामलाती दर्ज है। किन्तु तीनों द्वारा शामलाती पट्टा बनाने हेतु आवेदन नहीं किया गया। न तो आवेदन पेश किया गया न नक्शा फीस जमा कराई गई ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण करने हेतु पंचों को अधिकृत नहीं किया गया। तथा न आपत्ति नोटिस जारी किया न गवाहों के बयान ही लिये गये। तथा भंवरलाल, हणुतराम व पाबूराम, के पट्टा प्रदान करने की किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए भंवरलाल हणुतराम व पाबूराम के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टा विधिनुसार नहीं है अतः खारिज योग्य है।

ग्राम पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर का अवलोकन करने से भी जैर निगरानी पट्टा एवं पट्टे से संबंधित भूमी में हणुतराम व पाबूराम का कोई हित अस्तित्व नहीं है हणुतराम पाबूराम पुत्र करनाराम भांबी के नाम बाद में जोडे गए है। जो सही नहीं है उक्त नाम दूराशय पूर्वक अप्रार्थी चान्दूड़ी उर्फ चन्दादेवी पुत्री पाबूराम एवं पुत्री हणुतराम द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट कर कूटरचना कर जुड़वाये गये है। ग्राम पंचायत गरनिया द्वारा प्रस्ताव रजिस्टर में भंवरलाल पुत्र गीगाराम भांबी द्वारा पट्टा हेतु आवेदन करने के पश्चात अन्य कार्यवाही की गई लेकिन पट्टा भंवरलाल के द्वारा प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की गई। शेष राशि जमा आदि की कार्यवाही नहीं हुई। भंवरलाल के अधिवक्ता के कथन पर न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया एवं उनकी उपस्थिति भी दर्ज नही की गई इसलिए भी रिव्यू पिटीशन स्वीकार कराकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त कराया जाना न्यायसंगत है। हणूतराम व पाबूराम के विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 3/1, 4/1/1, 4/1/2, 4/1/3, ने भी निगरानी का समर्थन किया है तथा पट्टा खारिज कराने हेतु सहमति प्रदान की है इसमें इनके अधिवक्ता लक्ष्मी[illegible]नजर अन्दाज किया गया है जो न्याय के प्रतिकूल है। प्रार्थीगण [illegible] कब्जा एवं हक 50 वर्षों से होने बाबत पाली टेलीफोन के बिल व [illegible] पेश किए है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किए गए है न ही उनका कब्जा होना साबित किया है न ही कब्जा बाबत कोई कथन [illegible]या है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:32:50 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी के निर्णय के समय कब्जे के बिन्दु को गौण माना गया है। तथा नजर अन्दाज किया गया है। सर्वप्रथम दिनांक 03.08.2018 में प्रार्थीगण का एनएचआई द्वारा प्रथम नोटिस प्रेषित किया उसमे निर्माण व कब्जा प्रार्थीगण का माना है। उस समय पट्टा बाबत कोई नामोनिशान भी नही है। प्रथम बार पट्टे की फोटो प्रति के साथ चन्दूड़ी ने मुआवजे की मांग की तो पट्टे की जानकारी हुई एवं यह निगरानी पेश की गई जैर निगरानी पट्टा पूर्णतया, फर्जी, कूटरचित, एवं पश्चातवृती सोच व साजिश के तहत बनाया गया है चन्दुडी तथा मथुराई उक्त पट्टे के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने पर आमादा है तथा जैर निगरानी निर्णय से उनके मनसुबे पूर्ण हो जायेंगे तथा इसमें सफल हो जाने पर प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। तथा प्रार्थीगण अपने अधिकारों से वंचित भी हो जायेंगे। इसलिए भी जैर निगरानी पट्टा रिव्यू कर खारिज किया जाना न्यायसंगत है। बिना मिसल के भी पट्टे को विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव द्वारा भी अप्रार्थी के कथनों एवं उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर पूर्व में भी सहमति व्यक्त की गई थी आज भी ताईद कर पट्टा कूटरचित होने से तथा भंवरलाल द्वारा प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किए जाने से जैर निगरानी पट्टा बाद पुनर्विलोकन के खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया गया। साथ ही भंवरलाल पुत्र गीगाराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र भी फहरिस्त के साथ पेश किया जिससे अनुसार भंवरलाल द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही में कभी भी भाग नही लिए जाने का उल्लेख है अप्रार्थी कोयली, उर्फ कविता, बींजाराम मुकेश सांवरलाल की और से भी उनके अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह मेड़तिया ने उपस्थित होकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथनों एवं तर्कों का समर्थन किया गया एवं जैर निगरानी आदेश के पुनर्विलोकन कराने हेतु निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी श्री लक्ष्मण के चौधरी जो पूर्व में वक्त बहस अनुपस्थित थे ने अपनी बहस में कथन किया कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी तर्क रिव्यू से सम्बन्धित नहीं होकर पंचायत रिवीजन जिसका निर्णय पूर्व में हो चूका है उसके सम्बन्धित है अप्रार्थी भंवरलाल वगैरा के अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण वैष्णव ने पूर्व में भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों से सहमति व्यक्त की थी तथा आज रिव्यू प्रार्थना पत्र के संदर्भ में भी वकील प्रार्थी के कथनों की ही ताईद कर रहे हैं तथा अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह का भी यही कथन है तथा भंवरलाल द्वारा निष्पादित शपथ पत्र पेश किया है जिसके अनुसार उसने प्रार्थना पत्र पंचायत में प्रस्तुत नहीं करने बाबत तथा पंचायत कार्यवाही में भाग नहीं लेने बाबत उल्लेख किया गया है जबकि भंवरलाल द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गरनिया की बैठक में पेश किया था जो बैठक कार्यवाही दिनांक 23.3.78 के प्रस्ताव रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 4 में उल्लेखित होने से शपथ पत्र ही गलत पेश किया जाना सिद्व है इसी प्रकार पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही प्रस्ताव पारित कर की गई है तथा इन्हीं प्रस्तावों के मध्यनजर जैर निगरानी पट्टा निरस्त करने बाबत निर्णय दिनांक 08.03.2021 को पारित किया गया जो यथावत रखा जावें।

सभी अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों एवं तर्कों का उल्लेख किया है वे सभी निगरानी में किये जा चुके है निगरानी प्रार्थना पत्र का अन्तर्गत धारा 97(3) में पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित है जिन प्रावधानों का बहुत ही सिमित दायरा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:32:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश....................4

जिला कलेक्टर, पाली

किसी भी निगरानी प्रार्थना पत्र के पुनर्रावलोकन हेतु धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार दो आधार प्रमुख है :–

1. विधी की किसी भूल से वह आदेश पारित किया गया है।
2. किसी तात्विक बात की अज्ञानतावश आदेश पारित किया गया है।

वकील प्रार्थी द्वारा वक्त बहस किसी प्रकार का ऐसा साक्ष्य सबूत अथवा तथ्य पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2021 में विधी से सम्बन्धित किसी भूल से यह निर्णय पारित किया गया हो, न ही ऐसे कोई तथ्य/कथन किए गए हैं जिससे यह सिद्ध हो सके कि निर्णय में किसी तात्विक बात की अज्ञानतावश निर्णय का पुनरावलोकन किया जाना विधीसम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 23.03.1978, प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 25.05.78, प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 08.06.1978 एवं प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 08.09.1978 सभी में भंवरलाल पुत्र गीगाराम को पट्टा जारी करने सम्बंधी ही पारित किये गये हैं। इससे जैर निगरानी निर्णय पारित करने में विधी की किसी भूल से आदेश पारित किया जाना सिद्ध नहीं होता है न ही किसी तात्विक बात की अज्ञानतावश आदेश पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र में निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अधिवक्ताओं द्वारा किये गए कथनों में वर्णित तथ्यों पर गहन विचार के उपरांत ही विधीसम्मत पारित किया गया है। इसलिए पुनरावलोकित किया जाना विधीसम्मत नहीं है। अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनाराण वैष्णव व गजेन्द्रसिंह मेड़तिया द्वारा भी कोई अन्य सबल कथन नहीं किया गया है जो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण के पुनरावलोकन का कारण बन सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तथा मूल निगरानी संख्या 63/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16-4-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:32:50 IST
Reason: SelfAttested